. ऑन लाईन नं. GCMS 2021/145

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 04/2021

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. श्री विकास पेडिवाल पुत्र श्री घनश्याम पेडिवाल जाति माहेश्वरी, निवासी 506 रेजीडेन्सी कॉलोनी, वाटर, वर्क्स घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
   मैसर्स : किरण इन्डस्ट्रीज ऐरिया, घडसाना (विकेता एवं भागीदार)
2. श्री कपील पेडिवाल पुत्र श्री घनश्याम पेडीवाल जाति महेश्वरी निवासी 506 रेजीडेन्सी कॉलोनी, वाटर वर्क्स, घडसाना जिला श्रीगंगानगर।
   मैसर्स :– किरण इन्डस्ट्रीज ऐरिया, घड़साना। (भागीदार)

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(ii)खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक : 18.05.2022

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.11.2020 को दोपहर बाद 2.00 पीएम पर दौराने निरीक्षणार्थ श्री विकास पेडिवाल पुत्र श्री घनश्याम पेडिवाल जाति माहेश्वरी, निवासी 506 रेजीडेन्सी कॉलोनी, वाटर, वर्क्स घड़साना जिला श्रीगंगानगर, विकेता एवं भागीदार मैसर्स : किरण इन्डस्ट्रीज ऐरिया, घडसाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान/संस्थान पर मालिक श्री विकास पेडिवाल पुत्र श्री घनश्याम पेडिवाल जाति माहेश्वरी, निवासी 506 रेजीडेन्सी कॉलोनी, वाटर, वर्क्स घड़साना जिला श्रीगंगानगर, कारोबार कर रहा था, जिसका विकेता होना बताया को, अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र एवं पार्टनरशीप डीड मौके पर दी। जिसकी प्रति सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान में सरसों तेल किरण गोल्ड ब्राण्ड के 500–500 मि.लीटर की पैक पेट बोतले 100 गत्ते के कार्टुन में 15 लीटर (30 बोतले) मौके पर विकय हेतु रखी थी। शुद्धता की जांच हेतु विकेता एवं मालिक को मौके पर फार्म नम्बर 5ए

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

की प्रति नमूना सूचनार्थ तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवा के फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रता दी और खरीद प्राप्ति रसीद ली जो सलंग्न है। तत्पश्चात **सरसों तेल किरण गोल्ड ब्राण्ड** के 500–500 मि.ली. की पैक पेट बोतल कुल 4 खाद् पदार्थ लिये, जिसके पेटे 200/–रूपये नगद देकर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर कर, विक्रेता के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ने खरीद शुदा **सरसों तेल किरण गोल्ड ब्राण्ड** के कुल 4 बोतल खदर्य पदार्थ नमूने लिये, जिसको मूल 4 पैक अलग–अलग भाग में प्रत्येक का लेबल तैयार कर प्रत्येक नमुना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल **नम्बर के–1086** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार को अलग–अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप **के–1086** नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्व पदार्थ का विवरण **के–1086 सरसों तेल किरण गोल्ड ब्राण्ड** लिखकर हस्ताक्षर कियें एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता विकास पेडीवाल ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–एलएस/196/एक्ट/2020/202 दिनांक 13.11.2020 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1086 Misbranded Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री विकास पेडिवाल पुत्र श्री घनश्याम पेडिवाल जाति माहेश्वरी, निवासी 506 रेजीडेन्सी कॉलोनी, वाटर, वर्क्स घड़साना जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Mustard Oil (Kiran Gold)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 13.09.2021 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:–

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, के द्वारा शीर्षक प्रकरण इन आधारों पर प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 02.11.2020 को अप्रार्थीगण के संस्थान मैसर्स किरण इण्डस्ट्रीज से **Mustard Oil (Kiran Gold)** का नमूना लेबल व शुद्वता की जांच हेतु लिया गया था एवं Public Health Laboratory,बीकानेर के द्वारा नमूना निम्नांकित कारणो से **Misbranded Food** पाया गया:–

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

" Regulations No. 2.2.210(i) of Food Safety and Standards (Packaging and labeling) Regulations, 2011 Nutritional information: Given. But trans fat and saturated fat not declared on the label.

Contravention of Regulations of proviso iii of 2.2.2.3 of Food Safety and Standards (Packaging and labeling) Regulations, 2011"

यह कि अप्रार्थीगण के संस्थान से जांच हेतु लिया गया **Mustard Oil (Kiran Gold)** का नमूना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत एवं अधिनियम के अन्तर्गत बने Regulations के अनुसार शुद्वता की दृष्टि से निर्धारित मानकों के अन्तर्गत शुद्व पाया गया और इसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्वता नहीं पाई गई, लेकिन सैम्पल को **Misbranded** उपरोक्त कारणों से बतलाया गया जो कि सही नहीं है और इसके सम्बन्ध में अप्रार्थीगण का निम्नानुसार निवेदन है।

1. अप्रार्थीगण के द्वारा **Mustard Oil** के लिए Regulations में निर्धारित प्रारूप और मानकों के उल्लेख आदि के अन्तर्गत लेबल **Mustard Oil** की प्रत्येक बोतल पर लगाया हुआ है और जहां तक पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री के द्वारा यह आक्षेप है कि इसमें Trans fat एवं Saturated fat लेबल पर प्रदर्शित नहीं है, यह आक्षेप बिल्कुल गलत है। प्रत्येक बोतल पर लगाये हुए लेबल पर Nutritional information में fat का अंकन है और शुद्वता की दृष्टि से मात्रा का भी अंकन है। इस प्रकार लेबल निर्धारित प्रारूप के अनुसार और Regulations के अन्तर्गत बनाये गये **Mustard Oil** के लेबल हेतु सही–सही बनाये जाकर उन पर प्रत्येक मानकों का अंकन किया हुआ है। सम्भवतः यह विश्लेषण के समय दृष्टिविगत् रहा, अन्यथा यदि ऐसी कमी होती तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी सैम्पलिंग के समय इसका संज्ञान ले सकता था।
2. शीर्षक प्रकरण के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कोई उल्लधंना का कारण अथवा आधार परिवाद में विद्यमान नहीं है ओर द्वितीय, लेबल के सन्दर्भ में स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ही मौके पर इसकी सन्तुष्टि कर सकते थे कि क्या लेबल निर्धारित नियमावली के अनुरूप है अथवा नहीं, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा सैम्पल लिए जाने के समय Form VA में इसका उल्लेख नहीं किया गया।
3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि किसी प्रकार का कोई दोष प्रकट होता है तो उसके सम्बन्ध में यह विवेचन आवश्यक हो जाता है कि वह किस प्रकृति का है।
4. शुद्वता की दृष्टि से अप्रार्थी संस्थान से लिया गया **Mustard Oil** का सैम्पल पूर्णतः शुद्व और निर्धारित मानक स्तरों के अनुरूप पाया गया और इनमें किसी प्रकार की मिलावट अथवा रंग आदि का कोई अंश नहीं पाया गया।
5. परिवाद में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को केवल मात्र इसलिए पक्षकार बनाया गया है कि वे फर्म किरण इण्डस्ट्रीज के भागीदार है, जबकि प्रकरण किरण इण्डस्ट्रीज को पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं कम्पनी को पक्षकार बनाये जाने के अभाव में कम्पनी के निदेशक अथवा भागीदारों के विरूद्व कोई कार्यवाही विधि के अन्तर्गत नहीं हो सकती।
6. खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत **Misbranded Food** के मामलों में यह देखा जाना आवश्यक होता है कि आया सम्बन्धित व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का कोई अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है। मात्र लेबल में कमी केवल मात्र मानवीय त्रुटि अथवा अज्ञानता ही कही जा सकती है, लेकिन इससे किसी प्रकार का अनुचित लाभ प्राप्त

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है एवं उस स्थिति में, जब स्वयं **Mustard Oil** का सैम्पल विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार मानक स्तर का पाया गया है। अतः जवाब प्रस्तुत करके निवेदन है कि परिवाद खारिज किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Mustard Oil (Kiran Gold)** का सैम्पल **के–1086** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/196/एक्ट/2020/202 दिनांक 13.11.2020 द्वारा **Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि अप्रार्थीगण के द्वारा **Mustard Oil** के लिए Regulations में निर्धारित प्रारूप और मानकों के उल्लेख आदि के अन्तर्गत लेबल **Mustard Oil** की प्रत्येक बोतल पर लगाया हुआ है और जहां तक पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री के द्वारा यह आक्षेप है कि इसमें Trans fat एवं Saturated fat लेबल पर प्रदर्शित नहीं है, यह आक्षेप बिल्कुल गलत है। प्रत्येक बोतल पर लगाये हुए लेबल पर Nutritional information में fat का अंकन है और शुद्वता की दृष्टि से मात्रा का भी अंकन है। इस प्रकार लेबल निर्धारित प्रारूप के अनुसार और Regulations के अन्तर्गत बनाये गये **Mustard Oil** के लेबल हेतु सही–सही बनाये जाकर उन पर प्रत्येक मानकों का अंकन किया हुआ है। सम्भवतः यह विश्लेषण के समय दृष्टिविगत् रहा, अन्यथा यदि ऐसी कमी होती तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी सैम्पलिंग के समय इसका संज्ञान ले सकता था।शीर्षक प्रकरण के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की कोई उल्लधंना का कारण अथवा आधार परिवाद में विद्यमान नहीं है ओर द्वितीय, लेबल के सन्दर्भ में स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ही मौके पर इसकी सन्तुष्टि कर सकते थे कि क्या लेबल निर्धारित नियमावली के अनुरूप है अथवा नहीं, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा सैम्पल लिए जाने के समय Form VA में इसका उल्लेख नहीं किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि किसी प्रकार का कोई दोष प्रकट होता है तो उसके सम्बन्ध में यह विवेचन आवश्यक हो जाता है कि वह किस प्रकृति का है।शुद्वता की दृष्टि से अप्रार्थी संस्थान से लिया गया **Mustard Oil** का सैम्पल पूर्णतः शुद्व और निर्धारित मानक स्तरों के अनुरूप पाया गया और इनमें किसी प्रकार की मिलावट अथवा रंग आदि का कोई अंश नहीं पाया गया। परिवाद में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को केवल मात्र इसलिए पक्षकार बनाया गया है कि वे फर्म किरण इण्डस्ट्रीज के भागीदार है, जबकि प्रकरण किरण इण्डस्ट्रीज को पक्षकार नहीं बनाया गया है एवं कम्पनी को पक्षकार बनाये जाने के अभाव में कम्पनी के निदेशक अथवा भागीदारों के विरूद्व कोई कार्यवाही विधि के अन्तर्गत नहीं हो सकती।खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत **Misbranded Food** के मामलों में यह देखा जाना आवश्यक होता है कि आया सम्बन्धित व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का कोई अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है। मात्र लेबल में कमी केवल मात्र मानवीय त्रुटि अथवा अज्ञानता ही कही जा सकती है, लेकिन इससे किसी प्रकार का अनुचित लाभ प्राप्त करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है एवं उस स्थिति में, जब स्वयं **Mustard Oil** का सैम्पल विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार मानक स्तर का पाया गया है। अतः परिवाद खारिज किया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **Mustard Oil (Kiran Gold) "Code No and Sr.No.. K-1212 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar Misbranded food under section 3(1)(zf)(c)(i) of Food Safety and standards Act-2006** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त विकास पेडिवाल को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त विकास पेडिवाल को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 15,000–00 (अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में " **Mustard Oil (Kiran Gold)** " बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर